निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
120 / 24	04.04.2024	11.07.24

1. हरिचरण पुत्र बाला आयु जाति मीना निवासी गस्तीपुरा तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी — प्रार्थी

बनाम

1. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :— श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 390 के खसरा नंबर 3317 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 3326 रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर 3327 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 3332 रकबा 0.65 है0 कुल खसरे 4 कुल रकबा 1.53 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/45 दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र बाला दर्ज है जो प्रार्थी का गलत नाम है। प्रार्थी का सही नाम हरिचरण पुत्र बाला है। इसी प्रकार प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 388 के खसरा नंबर 3311 रकबा 0.56 है0, खसरा नंबर 3312 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 3314 रकबा 0.77 है0, खसरा नंबर 3315 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 3316 रकबा 0.85 है0, खसरा नंबर 3318 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 3321 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 3323 रकबा 0.76 है0, खसरा नंबर 3324 रकबा 0.83 है0, खसरा नंबर 3325 रकबा 0.58 है0 कुल खसरे 10 कुल रकबा 6.05 है0 वाके ग्राम वजीरपुर ब में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/45 हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र बाला दर्ज है, जो कि गलत नाम है। प्रार्थी का सही नाम हरिचरण मीना पुत्र बाला है। इसी प्रकार प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 389 के खसरा नंबर 3313 रकबा 0.33 है0, खसरा नंबर 3319 रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 3320 रकबा 0.47 है0, खसरा नंबर 3328 रकबा 0.38 है0 कुल खसरे 4 कुल रकबा 1.59 है0 में भी प्रार्थी का हिस्सा 1/45 दर्ज है, जिसमें भी प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र बाला के गलत नाम का अंकन हो रहा है जबकि प्रार्थी का सही नाम हरिचरण मीना पुत्र बाला है। इसी प्रकार प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 98 के खसरा नंबर 3073 रकबा 0.81 है0, खसरा नंबर 3074 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 3127 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 3159 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 3127 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 3159 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 3163 रकबा 2.80 है0 कुल खसरे 5 कुल रकबा 4.35 है0 में प्रार्थी का हिस्सा हाल जमाबंदी में 1/6 दर्ज है जिसमें भी प्रार्थी का नाम गलत हरिसिंह पुत्र बाला अंकित है जबकि प्रार्थी का सही नाम हरिचरण मीना पुत्र बाला है। इसी प्रकार प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 673 के खसरा नंबर 3120 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 3123 रकबा 0.65 है0 कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.95 है0 में प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में 1/2 दर्ज है, जिसमें भी प्रार्थी के सही नाम हरिचरण मीना पुत्र बाला के बजाय गलत नाम हरिप्रसाद व पिता का बल्दियत में बाल्यराम का गलत नाम अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 669 के खसरा नंबर 3121 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 3124 रकबा 1.22 है0 कुल खसरे 2 कुल रकबा 1.95 है0 में प्रार्थी

उप जिला कलेक्टर वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

का हिस्सा हाल जमाबंदी में 1/2 दर्ज है जिसमें प्रार्थी का सही नाम हरि पुत्र बाला के गलत नाम का अंकन हो रहा है, जबकि प्रार्थी का सही नाम हरिचरण पुत्र बाला है। इसी प्रकार प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 509 के खसरा नंबर 3322 रकबा 0.64 है0, खसरा नंबर 3329 रकबा 1.20 है0, खसरा नंबर 3330 रकबा 1.37 है0, खसरा नंबर 3331 रकबा 0.42 है0, खसरा नंबर 3334 रकबा 0.86 है0, खसरा नंबर 3336 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 3337 रकबा 0.53 है0 कुल खसरे 7 कुल रकबा 5.45 है0 में प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में 1/45 दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र बाला दर्ज हो रहा है। इसी प्रकार प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 508 के खसरा नंबर 3128 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 3132 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 3133 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 3217 रकबा 1.03 है0, खसरा नंबर 3218 रकबा 0.47 है0, खसरा नंबर 3219 रकबा 0.66 है0, खसरा नंबर 3240 रकबा 1.64 है0, खसरा नंबर 3241 रकबा 3.01 है0 कुल खसरे 10 कुल रकबा 8.82 है0 में प्रार्थी का हिस्सा हाल राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 दर्ज है जिसमें प्रार्थी का गलत नाम हरिसिंह पुत्र बाला का गलत अंकन हो रहा है। इसी प्रकार प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 212 के खसरा नंबर 3146 रकबा 0.79 है0, खसरा नंबर 3147 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 3148 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 3149 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 3150 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 3151 रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 3152 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 3176 रकबा 0.72 है0 कुल खसरे 8 कुल रकबा 3.43 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/20 हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का गलत नाम हरिसिंह पुत्र बाला दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम हरिचरण मीना पुत्र बाला है। प्रार्थी के समस्त पारिवारिक एवं सरकारी दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थी का सही नाम हरिचरण मीना पुत्र बाला का अंकन हो रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम के अंकन की वजह से प्रार्थी को कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है एवं योजनाओं में राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम की वजह से शामिल नहीं हो रहा है। उक्त गलत नाम के इन्द्राज की पूर्व में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं रही है। दिनांक 22.03.2024 को जमाबंदी की नकल लेने से ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी के गलत नाम की वजह से कई परेशानी पैदा हो गई है। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है तथा तहसीलदार वजीरपुर नामान्तकरण तस्दीक करने वाला अधिकारी है इसलिए आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 390, 388, 389, 98, 509, 212 में प्रार्थी हरीसिंह का नाम हजफ कर हरिचरण मीना पुत्र बाला करने के आदेश प्रदान करें। इसी प्रकार खाता संख्या 669 में प्रार्थी के नाम हरि पुत्र बालाराम को हजफ कर हरिचरण मीना पुत्र बाला करने के आदेश प्रदान करें तथा खाता संख्या 673 में प्रार्थी हरिप्रसाद पुत्र बाल्याराम का नाम हजफ कर हरिचरण मीना पुत्र बाला करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत वजीरपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक 532 दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम वजीरपुर पटवार मुख्यालय वजीरपुर ब की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 98 किता 5 रकबा 4.35 है0, खाता संख्या 212 किता 8 रकबा 3.43 है0, खाता संख्या 388 किता 10 रकबा 6.05 है0, खाता संख्या 389 किता 4 रकबा 61.59 है0, खाता संख्या 390 किता 4 रकबा 1.53 है0, खाता संख्या 508 किता 10 रकबा 8.82 है0, खाता संख्या 509

उपजिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

35

किता 7 रकबा 5.4 है0 में प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र बाला दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 669 किता 2 रकबा 1.95 है0 में प्रार्थी का नाम हरि पुत्र बालाराम दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 673 किता 2 रकबा 0.95 है0 में प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पुत्र बाल्याराम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अंकतालिका इत्यादि में हरिचरण पुत्र बाला दर्ज है जो सही है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से हरिचरण पुत्र बाला के बजाय हरिसिंह पुत्र बाला, हरि पुत्र बालाराम, हरिप्रसाद पुत्र बाल्याराम दर्ज हो गया है। जांच के दौरान पाया गया कि हरिसिंह पुत्र बाला, हरि पुत्र बालाराम, हरिप्रसाद पुत्र बाल्याराम व हरिचरण पुत्र बाला एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हरिसिंह पुत्र बाला, हरि पुत्र बालाराम, हरिप्रसाद पुत्र बाल्याराम के स्थान पर हरिचरण पुत्र बाला शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी लैण्ड होल्डर ने पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2076–2079 के खाता सं. 390, 388, 98, 508, 509, 212 में प्रार्थी के नाम हरिसिंह पुत्र बाला के स्थान पर हरिचरण पुत्र बाला, खाता संख्या 389 में हरीसिंह पुत्र बाला के स्थान हरिचरण पुत्र बाला, खाता संख्या 669 में प्रार्थी के नाम हरि पुत्र बालाराम के स्थान पर हरिचरण पुत्र बाला और खाता संख्या 673 में प्रार्थी के नाम हरिप्रसाद पुत्र बाल्याराम के स्थान पर हरिचरण पुत्र बाला किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम वजीरपुर की जमावंदी सं0 2076 से 2079 के खाता सं. 390, 388, 98, 508, 509, 212 में प्रार्थी के नाम हरिसिंह पुत्र बाला के स्थान पर हरिचरण पुत्र बाला, खाता संख्या 389 में हरीसिंह पुत्र बाला के स्थान हरिचरण पुत्र बाला, खाता संख्या 669 में प्रार्थी के नाम हरि पुत्र बालाराम के स्थान पर हरिचरण पुत्र बाला और खाता संख्या 673 में प्रार्थी के नाम हरिप्रसाद पुत्र बाल्याराम के स्थान पर हरिचरण पुत्र बाला दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर